स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक नस्ती क. विकित/2016/24

विषय डब्ल्यू पी. 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी

विषयः न्यायालयीन प्रकरण कमाक हब्ल्यू.पी. 1096 / 2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयातर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 1096/2016 द्वारा **योगेन्द्र सिंह रघुवंशी** विरुद्ध म.प्र. शासन (संलग्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला गुना से संबंधित है। प्रकरण जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, गुना को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत। अन्दर्भ साक्षर आदत ने छेरू से संबंधित है।

IDKE)

€ OIC फ्रामेस हस्ताक्ष्मामा/

राज्य शिक्षा कन्द्र, भोपलि

FOMID KIDS

644/AMD

(शीला वादिना) अपर मिशन संवाजव

दीप्ति गौड़ मुख्य आयुःत राज्य शिक्षा **केन्द्र**

35/21/218/5/2014/1- Paler/oural/2016/1997-78 WHON RAIS 143

शासा . विद्या

स्कृत्न शिक्षा विभाग, मध्यक्रदेश

नस्ती क्रानिश्निः /2-16/24

पुष्ठ क्रमांक . . १.८...

विषय . W.P. 1936/2016 हारा योजन्द्र किंह रच्छनंशी

विष्ण १/। पर अनुमरिन किनुमाट ०१८ क्षादेश भारी किया गया। अतिरक्षण आदेश हेते अस्ती क्षि विभाग री किंदिन करना न्यारेंगे। JDCP) an tour AMD CSD!

शाज्य शिक्षा जेन्द्र

1559/com/

त्तकेमुचो—838—राशिके—22-5-15—500 पैक्स (100×1) फ्रवेक.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR**

Process Id: 6253/2016

WP/1096/2016

From

Deputy Registrar, **High Court of MP Bench at Gwalior**

The Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, Bhopal, District-Bhopal (MADHYA PRADESH), FOR ADMISSION Fixed for 08-03-2016

DA- 03 Respondent No. 2

RAD

Gwalior 19-02-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 1096/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Yogendra Singh Raghuwanshi has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/1096/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 08-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER Section Officer

high Court Of Madhya Pradesc Bench Grallor

Part Contract

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. NO. 1096/2016(S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi

<u>Versus</u>

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

LIST OF EVENTS

DATES	PARTICULARS	ANN.
	The petitioner is aggrieved by the order dt. 02-02-2016	P/1
	passed by the respondent no. 5 whereby without	
	following the principals of natural justice and without	<u> </u>
	providing an opportunity of hearing to the petitioner, the	
	appointment of the petitioner as Prerak has been cancelled.	
<u> </u>	The petitioner is further aggrieved by the order dt. 02-02-	P/2
	2016 passed by the respondent no. 2 whereby in place of	
	the petitioner, the respondent no. 6 has been appointed on	
	the post of Prerak.	ł
	That, an advertisement was issued by the Rajya Shiksha	P/3
-	Kendra for filling the post of Prerak. The petitioner and	
	other 3 candidates have submitted their candidature in the	<u>.</u>
	office of J.P.	
	That, after scrutiny of all the application form, a merit list	P/4
	was prepared by the respondents. In the aforesaid merit	
	list, the petitioner was placed as Serial no. 2 as he secured	
	60.26 marks. It is submitted that one Shivendra Singh	
	who was placed at serial no. 1 in the merit list, appointed	
	as Samvida Shala Shikshak and on this reason he could	

That, it is submitted that the petitioner was the next meritorious candidate and accordingly he was appointed on 12-12-2014.

That, all of sudden the respondent no. 6 has filed one false compliant and stated that he submitted the computer certificate alongwith the application form but the 10

marks of the aforesaid certification has not been given to

him. But the fact remains is that the respondent no. 6 has

not submitted the Computer certificate alongwith the

application form and therefore there was no occasion to

the authority to provide the 10 marks of the computer

not join on the post of Prerak.

Date: - 07-02-2016

certificate.

Humble Petitioner

Gwalior

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

/13/

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

W.P. NO.

/2016 (S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

INDEX

Sr.N	Description of Au Document No	nexure	Page Number
	m)	any)	
1.	Writ Petition		1-10
2.	Affidavit		11
3.	List of Documents	P/1	• •
4. 5.	Copy of Order	P/2	13
6.	Copy of Application Form	P/3	15
7,	Copy of Merit List	P/4	16
8.	Copy of Appointment Order	P/5	17
9.	Copy of Complaint	P/6	18
10.	Copy of Application form	P/7	ور ا
11.	POWER	•	20

Date: - 07-02-2016

Humble Petitioner

Gwalior

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. NO.

2016 (S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi, Aged-26 years, S/o Shri Ravindra Singh Raghuwanshi, Posi-Prerak, Posted at Gram Panchayat Khamkheda, J.P. Aron, Distt. Guna (M.P.)

erret.

RESPONDENTS

- 1. The State of M.P. through the Principal
 Secretary, Department of School
 Education, Vallabh Bhawan, Bhopal,
 (M.P.),
- 2. The Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, Bhopal, (M.P.)
- 3. The Collector, Distt. Guna, (M.P.)
- 4. The Zila Panchayat Guna, (M.P.) through its Chief Executive Officer
- 5. The Janpad Panchayat Aron, Distt. Guna, (M.P.) through its Chief Executive Officer
- 6. Parmal Singh Raghuwanshi, S/o Shri Babulal Raghuwanshi, R/o Village Pyasi, Gram Panchayat Khamkheda, Tehsil Aron, Distt. Guna (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

MAY IT PLEASE THIS HON BLE HIGH COURT,

The petitioner respectfully submits this writ petition as

I. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE:

(1) Date of Order: 02-02-2016 and 02-02-2016

(2) Passed in Case: Nil

(3) Passed by: Respondent No. 5

(4) Subject-matter in brief:

The petitioner is aggrieved by the order dt. 02-02-2016 passed by the respondent no. 5 whereby without following the principals of natural justice and without providing an opportunity of hearing to the petitioner, the appointment of the petitioner as Prerak has been cancelled. Copy of order dt. 02-02-2016 is annexed hereto and marked as Annexure P/1.

The petitioner is further aggrieved by the order dt. 02-02-2016 passed by the respondent no. 2 whereby in place of the petitioner, the respondent no. 6 has been appointed on the post of Prerak. Copy of order dt. 02-02-2016 is annexed hereto and marked as Annexure P/2.

A DECLARATION THAT NO PROCEEDING ON THE SAME SUBJECT MATTER HAS BEEN PREVIOUSLY INSTITUTED IN ANY COURT, AUTHORITY OR TRIBUNAL. IF INSTITUTED, THE STATUS OR RESULT THEREOF, ALONG WITH COPY OF THE ORDER:

The petitioner declares that no proceeding on the same subject matter has been previously instituted in any Court, authority or Tribunal.

DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:

The petitioner declares that there is no efficacious remedy except to challenge the impugned order before this Hon'ble Court under article 226 of the Constitution of India

4 DELAY, IF ANY, IN FILING THE PETITION AND EXPLANATION THEREFORE:

There is no delay in filing of present petition.

5. FACTS OF THE CASE:

The facts giving rise to the present petition are as under;

(i) That, the petitioner is permanent resident of Gram Panchayat Khamkheda, Tehsil Aron, Distt. Guna (M.P.)

- (ii) That, an advertisement was issued by the Rajya Shiksha Kendra for filling the post of Prerak. The petitioner and other 3 candidates have submitted their candidature in the office of J.P. Copy of the application form of the petitioner is annexed hereto and marked as Annexure P/3.
- prepared by the respondents. In the aforesaid merit list, the petitioner was placed as Serial no. 2 as he secured 60.26 marks. It is submitted that one Shivendra Singh who was placed at serial no. 1 in the merit list, appointed as Samyida Shala Shikshak and on this reason he could not join on the post of Prerak. Copy of merit list is annexed hereto and marked as Annexure P/4.
- (iv) That, it is submitted that the petitioner was the next meritorious candidate and accordingly he was appointed on 12-12-2014.

 Copy of appointment order is annexed hereto and marked as Annexure P/5.
- That, in compliance of the appointment order, the petitioner has submitted his joining in the respondent department and since than he is continuously working with honesty, sincerity and with full devotion in the respondent department. The appointment of the petitioner has been renewed from time to time.

- (vi) That, all of sudden the respondent no. 6 has filed one false compliant and stated that he submitted the computer certificate alongwith the application form but the 10 marks of the aforesaid certification has not been given to him. But the fact remains is that the respondent no. 6 has not submitted the Computer certificate alongwith the application form and therefore there was no occasion to the authority to provide the 10 marks of the computer certificate. Copy of compliant is annexed hereto and marked as Annexure P/6. Copy of the application form of the respondent no. 6 is annexed hereto and marked as Annexure P/7.
- that in Colum number 4 regarding certificate of computer, the respondent no. 6 has mark the sign of cross meaning thereby he has not having the certificate of computer neither alongwith the application form, he submitted the certificate. But in the photocopy of the application form, respondent no. 6 has committed forgery and in place of cross sign, by using flood, right sign has been mark. Thus the respondent no. 6 has played fraud with the Constitution while obtaining the employment. Thus the respondent no. 6 liable to be punished under the Code of Criminal Procedure and his appointment is liable to be quashed.

- (ix) That, if the opportunity of hearing would be provided to the petitioner, than things would be different. But in the present matter-since ex-parte procedure has been adopted and no notice at any point of time has been given to the petitioner and since the impugned order entail civil consequences and therefore in view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court of India in the case of Shrilekha Vidhyarthi, the opportunity of hearing should be provided even to the contractual employee.
- without providing an opportunity of hearing to the petitioner passed the impugned order dt. 02-02-2016 by which the services of the petitioner has been terminated and on the same day another order has been passed and the respondent no. 6 has been appointed as Prerak in place of the petitioner.

(xi) That, for the foregoing reasons the present petition is filed interalia on the following grounds.

6. GROUNDS URGED:

- (A) That, the impugned orders on the part of respondents is in violation of article 14 of the Constitution of India.
- that in Colum number 4 regarding certificate of computer, the respondent no. 6 has mark the sign of cross meaning thereby he has not having the certificate of computer neither alongwith the application form, he submitted the certificate. But in the photocopy of the application form, respondent no. 6 has committed forgery and in place of cross sign, by using flood, right sign has been mark. Thus the respondent no. 6 has played fraud with the Constitution while obtaining the employment. Thus the respondent no. 6 liable to be punished under the Code of Criminal Procedure and his appointment is liable to be quashed.
- That, the respondent no. 6 while submitting the application/compliant has misguide the authority and stated that the post of Prerak is not vacant in Gram Panchayat Khamkheda and requested for appointment. But the fact remains is that the

petitioner is continuously working and the post was not vacant despite of that without providing an opportunity of hearing to the petitioner, impugned orders are passed which are liable to be quashed.

- petitioner, than things will be different. But in the present matter since ex-parte procedure has been adopted and no notice at any point of time has been given to the petitioner and since the impugned order entail civil consequences and therefore in view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court of India in the case of Shrilekha Vidhyarthi, the opportunity of hearing should be provided even to the contractual employee.
- without providing an opportunity of hearing to the petitioner passed the impugned order dt. 02-02-2016 by which the services of the petitioner has been terminated and on the same day another order has been passed and the respondent no. 6 has been appointed as Prerak in place of the petitioner.
- (F) That, Other grounds shall be urged during the course of arguments.

7. RELIEF PRAYED FOR:

In yiew of the facts mentioned in para 6 above the petitioner prays that a writ of mandamus or any other suitable writ, direction may kindly be issued and following relief may be granted to the petitioner.

- (i) That, the impugned order dt. 02-02-2016 (Annexure P/1) may kindly be quashed.
- (ii) That, the impugned order dt. 02-02-2016 (Annexure P/2) may also kindly be quashed.
- (iii) That, the respondents may kindly be directed to reinstate the petitioner in service with all consequential benefits.
- the record of the selection process for kind perusal of this Hon'ble Court and since the respondent no. 6 has made the forgery in the public document, he may be punished under the provisions of Cr.P.C.
- (v) That, the other relief doing justice including cost be awarded.

8. INTERIM ORDER/WRIT, IF PRAYED FOR:

The petitioner pray that during pendency of this petition and considering the facts and circumstances of the case the petitioner most humbly prayed directing respondents to stay the effect and operation of order dt. 02-02-2016 (Annexure P/1) and order dt. 02-02-2016 (Annexure P/2), with a further direction to allow the

/10/
petitioner to work as Prerak in Gram Panchayat Khamkheda and

restrained the respondent no. 6 to work on the aforesaid post till

final disposal of present case in the interest of justice.

9. DOCUMENTS RELIED ON BUT NOT IN

POSSESSION OF THE PETITIONER:

The petitioner declare that the he has not relied upon any document not in possession of the petitioner

10. CAVEAT:

No notice of lodging a caveat by the opposite party is received.

Date: - 07-02-2016

Humble Petitioner

Gwalior

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

/11/

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. NO.

/2016 (S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

AFFIDAVIT

I, Yogendra Singh Raghuwanshi, Aged-26 years, S/o Shri Ravindra Singh Raghuwanshi, Post-Prerak, Posted at Gram Panchayat Khamkheda, J.P. Aron, Distt. Guna (M.P.), do here by solemnly affirm and state on oath as under:-

- 1. That, I state on oath that I am petitioner in the present petition, which has been drafted by my counsel under my instruction and I have fully understood the contents thereof.
- 2. That, I state on oath that I have fully understood the facts of the case and the contents of writ petition from para 1 to 11 of the writ petition have been read over to me after due translation in Hindi and I have fully understood the contents thereof.
- 3. That, I state on oath that the contents of para 1 to 5, 7 to 11 of the writ petition are true and correct to my personal knowledge.
- 4. That, I state on oath that contents of para 6 of the writ petition are based on legal advise tendered by my counsel which I believe to be true and correct.
- 5. That, I state on oath that the documents as contained in Annexures annexed with the writ petition are photocopies of the originals.

Date: - 07-02-2016

Signature of Deponent

I the above named deponent do hereby verify the contents of this affidavit in para 1 to 3 and 5 as true and correct to my personal knowledge. The contents of para 4 are based on legal advise tendered by my counsel which I believe to be true and correct, no part of affidavit has been falsely stated.

Date: - 07-02-2016

Gwalior

Signature of Deponent

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. NO.

/2016(S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuvanshi

<u>Versus</u>

RESPONDENTS

Gwalior

The State of M.P. & others

List of Documents

Document Copy of I Copy of Order Copy of Application Form Copy of Merit List Copy of Appointment Order Copy of Complaint	f Pages	Сору	D			
 Copy of Order Copy of Application Form Copy of Merit List Copy of Appointment Order 	<u> </u>	·	Document		Document	<i>:</i> :
 Copy of Application Form Copy of Merit List Copy of Appointment Order 	• • •				Copy of Order	1.
4. Copy of Merit List 5. Copy of Appointment Order					Copy of Order	2 4,17, 1
5. Copy of Appointment Order				Form	Copy of Application	3.
			· ·		Copy of Merit List	4.
6. Copy of Complaint				nt Order	Copy of Appointmen	5.
					Copy of Complaint	6.
7. Copy of Application form				n form	Copy of Application	7.

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

Through Counsel

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

ANNEXURE-

कार्यालय विकास खण्ड लोक शिक्षा समिति आरोन जिला गुना (म०प्रं०) क्र / प्रेरक नियुक्ति / साहार भारत / 2016 / T/

आरोन दिनांक 22.2016

योगन्द्रसिह एघवुशी (प्रेरक) ग्राम पंचायत खामखेडा विकास खण्ड आरोन जिला गुना

विषय:-नियुक्ति निरस्त करने बावत ।

संदर्भ:-कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना का पत्र क./शिका./प्रेरक नियुक्ति/सामर भारत/2018/612 गुना दिनांक 25.1.2016 के क्रम में

उपरोक्त संदर्भित पत्र के पालन में विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत खामखेडा के श्री परमालसिंह रघुवशी की शिकायत की जाच उपरांत प्ररेक नियुक्ति बरीयता सूची में श्री परमालसिंह रघुवशी को कम्न्यूटर ज्ञान के 10 अंक निर्धारित होने से इनका कुल योग 62.95 होने से आपका कुल योग 60.266 हो गया है।

अतः वरीयता सूची मे श्री परमालसिह रघुवशी आपसे उपर होने के कारण आपकी नियुक्ति प्रेरक पद तत्काल प्रमाव से निरस्त की जाती है ।

> मुख्यकार्यपालन अधिकारी / समन्वयक 🗸 जनमद पंचायत आरोन जिला गुना

मुक / क्रेक नियुक्ति / साक्षर भारत / 2016 / 17 2...

आरोन दिनांक 2.2.2016

- 1. श्रीमान कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति गुना।
- 2. श्रीमान डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी (नोडल अधिकारी) कार्यालय कलेक्टर जिला गुना ।
- 3. श्रीमान जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकरी / सिवव जिला लोक शिक्षा समिति गुना।
- 4. प्रधानाघ्यापक / सचिव ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति मा.वि. खामखेड़ा की ओप सूचनार्थ/पालनार्थ।

्रमुख्यकार्यपालन अधिकारी / समन्वयक जनपद पंचायत आरोन जिला गुना

कार्याख्य जनपद पंचायत आरोन जिला गुना (म.प्र.)

आसेन दिनांक 02 02 16

नध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण भोपाल के अंतर्गत संचालित साक्षर भारत योजना में ग्राम न्तुर पर संचालित किये जाने काले प्रीट शिक्षा केन्द्र पर प्रेरकों के चयन हेतु जारी विकायन कमांक/रांधशिक्कैं। साक्षर मास्त्र 🚅 2/92274 मोपाल दिनांक 21/9/2012 में उद्भोखित सर्वों के अनुसार विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोन द्वारा परीक्षम पर शासन के निर्देशानुसार निम्नांकित **सर्वों के** अधीन रूपये 2000/ -(रूपयें दो हजार मात्र) प्रतिमाह मानविय पर निम्न के जानन दे में वर्णित अस्यर्थी को सालिका के कॉलम-४ में उल्लेखित स्थान पर पूर्णक्रम से अस्थाई तौर पर प्रेरक पद पर क्रांच्या के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

अन्यर्थी का नाम (पिता / पित के नाम साहत)	निकस स्थानं/पता	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ निकुक्ति की गयी
2	3	4
्रेट्रा प्रमाल खिंह र पुनशी र्	च्यासा	खामधड

ा सर्विदा अयधि 06 माह की होगीं तथा कार्य मूल्यांकन सपरांत भाषदण्ड अनुस्त्र पाये जाने की स्थिति में ही सेवावृद्धि की जा

नियुक्त प्रेरक को 7 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति में उपस्थिति देना अनिवार्य होगी एवं उपस्थिति की सूचना कार्यालय विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोन को भी देना होगी।

संदिद्ध निद्धावत योजना समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जावेगी।

अक्टू (स्थापना अवार मारा / 2016/ 173

🚅 🚆 🚾 प्रमुखः भूमण की शारीरिक क्षमता होना चाहियें ।

दान पंचांदत के लंक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संवासन एवं प्रबंधन करना होगा। भाग रहर पर हुद आम पंचायत स्तर पर निस्क्षरों एवं स्वंध सेवी शिक्षकों की पहचान कर निस्क्षरों को साजर करना होगा प्रत्येकं स्वयंसेवी शिक्षक एवं निस्तरों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना होगीं ।

कान पंचायत में संचालित सावारता कक्षाओं एवं अन्य गतिविधेयों की मॉनीटरिंग करना होगी । क के वे अनिवार्यत नियमित रूप से साक्षरता कक्षाओं में भढ़ाने का कार्य करेंगे एवं नद साक्षरों का

भूल्यांकन करना होगा । 10. ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत महिला साक्षरता दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अवार्ड का प्रस्ताव तैयार कर जिलें को

भेजना होगा । 11. प्रेरक द्वारा उसकी नियुक्ति पश्चात शासन द्वारा सीपे गये कर्तव्य का पालन नहीं किये जाते पर प्रेरक के विरूट अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही कर पद से पृथक किया जा सकेगा

12. प्रेरकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत दिचाराधीन याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन एहेगीं ।

, 13. नियुक्त प्रेरक द्वारा निर्धारित अविद में कार्यमार ग्रहण न करने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

14 मानदेय भी पात्रता स्रशिक्षण दिनोन्ड से होगी

आरोन दिनांक 02/02/16 मुक्तः / स्थापनाः / साक्षरं भारतः / 2016/

आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की और सादर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/उप समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की और सादर सूचनार्थ ।

जिला प्रीढ शिक्षा आधिकारी / सचिव जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की और सादर सूचनार्थ, ।

मुख्यकार्थपातन अधिकूर् जनपद पंचायत असीक टाइप कॉपी पेज नं. 14

कार्यालय जनपद पंचायत आरोन जिला गुना (म०५०)

क्रमांक /स्थापना/साक्षर भारत/2016/

आरोन दि. 02.02.16

मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण भोपाल के अंतर्गत संचालित साक्षर भारत योजना में ग्राम एकीकृत स्तर पर संचालित किये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर प्रेरकों के चयन हेतु जारी विज्ञापन कमांक / रा.शि.के./साक्षर भारत/2012/92274 भोपाल दिनांक 27.9.2012 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोन द्वारा परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर शासन के निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन रूपये 2000 / - (रूपये दो हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर निम्न (अपठनीय) में वर्णित अम्यर्थी को तालिका के कॉलम-4 में उल्लेखित स्थान पर पूर्णरूप से अस्थाई तौर पर प्रेरक पद पर प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है -

 क्र.	अभ्यर्थी का नाम (पिता/पति के नाम सहित)	निवास स्थान / पता	ग्राम पंचायत का नाम जहां नियुक्ति की गई
1	2	3	4
1.	श्री परमाल सिंह रघुवंशी पुत्र श्री बाबूलाल रघुवंशी	प्यासी	खामखेड़ा

नियुक्ति की सेवा शर्ते :-

- संविदा अविध 06 माह की होगी तथा कार्य मूल्यांकन उपरांत मापदण्ड अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही सेवावृद्धि की जा सकेगी।
- 2. नियुक्त प्रेरक को 7 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति में उपस्थिति देना अनिवार्य होगी एवं उपस्थिति की सूचना कार्यातक विकासखंड लोक शिक्षा समिति आसोन को भी देना होगी।
- 2. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बद्ध की जा सकती है।
- संविदा नियुक्ति योजना समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- संविदा शिक्षक में व्यापक भ्रमण की शारीरिक क्षमता होना चाहिये!
- श्राम पंचायत के लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संचालन एवं प्रवंत्रय करना होगा।
- 7. ग्राम स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निरक्षरों एवं स्वयं सेवी शिक्षकों वी पहचान कर निरक्षकों को साक्षर करना होगा।
- 8. प्रत्येक स्वयंसेवी शिक्षक एवं निरक्षरों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना होगी। ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता कक्षाओं एवं अनय गतिविधियों की मॉनीटरिंग करनां होगी।
- 9. (अस्पष्ट) वे अनिवार्यतः नियमित रूप से साक्षरता कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य करेगें एवं नव साक्षरों का मूल्यांकन करना होगा।

- 10. ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत महिला साक्षरता दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अवार्ड का प्रस्ताव तैयार कर जिले को भेजना होगा।
- 11. श्रेरक द्वारा उसकी नियुक्ति पश्चात शासन द्वारा सौंपे गये कर्तव्य का पालन नही किये जाने पर प्रेरक के विरुद्ध अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही कर पद से पृथक किया जा सकेगा।
- 12. प्रेरकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 13. नियुक्त प्रेरक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यमार ग्रहण न करने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 14. मानदेय की पात्रता प्रशिक्षण दिनांक से होगी।

हरताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरोन जिला गुना म.प्र.

पु.क्र. / स्थापना / साक्षर भारत / 2016

आरोन दिनांक 02.02.16

प्रतिलिपि -

- आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा सिमित जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।

- 3. युख्य कार्यपालन **अविकारी जिला पं**चायत / उपसमन्वयक जिला लोक रिक्ता समिति जिला युना की और सादर सूचनार्थ।
- 4. जिला प्रोड़ शिक्षा अधिकारी / सचिव जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ

हस्तादार

मुख्य कार्यपालन **अविकारी** जनपद पंचायत आरोन जिला मुना

	क्षितिव विश्वासिक स्थान सामात कारा वातक	का का जाना वाला
• *	तिमति/कुया हो न्यू के हिंती	श्री एविन्द्र विदे
	ति क्राम/मकराप्राप्टर हुं। तिकु रिक्त प्रेरक पद हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक	भी प्राप्त किया गया। जिसमें निम्न हस्तावेज
	ते (\ अधवा x का विन्ह लगावें)	
琢.	रीश्राणिक एवं अन्य अहँगा	संसम्बक्ते लिए 🗸 का चिन्ह लगायें
1.	हाईस्कूल परीक्षा अंक सूची की छावाप्रति	
2.	हायर सैकेन्द्री परीक्षा अंक सूची की छायाप्रति	
3	पूर्व में साक्षरता संचालित योजनाओं में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र की छाबाप्रति	
4.	कम्प्यूटर संचालन ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
5.	कूल निवासी प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र की छावाप्रति	
6.	जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति	Q.

साक्षर भारत योजना

स्थान :-	My	
	22/4/18	

अविदक्त के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

प्रामेर्ड ब्रिंह

र्माल		1	1
रनाव सिंह रचुवंशी	7	No vegate	
4			3
*	**	* 44 * 4	*
4	A THE RES	#	S THE STATE OF
G.	÷.	64	(4 4)
1	WALL 1.1.1887		STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
WITHING 10.4.1878	¥ 1.1.1@	MAINE 202.1880	शानाच्य 28.8.1987
979	7	8	74
4	4	4	
	- 		3
diada	WHI WAR		
4		4	3
(20) (30) (30) (31)	55.66 66.66	67.14	72.66
140 140 60 60	56.68 35.126	67.11 40.286 10	43.506
ô	o	Ĉ	Ø
ø	Ø	G	Ø
O	Ø	6	Φ.
,C) en	1 10 8	- <u>1</u> C3 68	ි ලි : න
변 있 원 항	10 \$5.196	10 BO.266	10 63.596

¥	Ľ	7		ŀ			٠		_	_			į.							
2 ortige the			LES ON DARK				· ·		आवेदक का नाम			/				N. C.	Sec. Com.			
		श्री रवस्त्र ।राष	7	李 果果 不					긖	क्ता/पतिका		-							1	
1	<u> </u>	ļ	d	×	4		: :	•	À	ند ٠		-	١.	_	1		:	-		
	HAIN		4 1 1	Tall I					d	L a					1	:		٠.	-	
140/4/1973	7 7 7	71/1007	7617/720		25/8/1997					जन दिनाक								,		
	,	1	100	100					111	4		विवास रत	 				, · ,	.; ;;		
9	1	खामखंडा	1	वास्त्रम	खामखन			किया है	आयम	4			: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	-:	· ·					
	38.25%	20000	2020	67:233		13.C.C.R		. Nativity	. '		A M	15.25	,		· -	- 4				*
	22.95	T	35.196	40.400		43.596		का \$0%	भावसारा			1	7		are safe safesania	į				
,		3	10	١	5	10				(3,01)	100			 -			1			
		6			0	0		वादी में	-	ļ	का नयानु	110000000000000000000000000000000000000	कार के रेडिक कार्य	्रसा अंधर्गल		.:	;			
		20		0	0	ا	1	(5%)	기 대 대		10 041	1 2 1 2 1 3 1 4 4	100 A 100 A	ra for						していてはなり、ク
		ے و	,	5	ĕ		3			(10%)	3			1	~	ر ا) }			
-		1	3	55	00		965 89	#)E	·	•	_		व्युअयोग	\ -		ا ر	/\ -	•	1/4	0/0
1		10	10	100		· 🖈			J. 8			پو	4	: :-	: :				ľ	

(अ.जा. अ.ज जा अत्यसंख्यक)

कायलय जनस्य अधिन आरोन

क्षांक / स्थापना / साधार भारत / 2017 / 13 7 🌉

रक्ष्याप्रवेश आर्थन राज्य शिक्षा क्षेत्रव शाज्य सामापता विशन प्राधिकरण भोषाल के अंतर्गत संवालित सामाप्र योजना में ग्रीन ेनावत सार पर संवाधित किये जाने होते श्रीव शिधा केन्द्र पर ग्रस्कों के अधन हेतु आधी विद्यापन कनके अधिकार्या अधि मारत / 2012 / 3274 पीपार्स दिनाक 27 / 9 / 2012 में सम्मोदिक कर्तों के अनुसार विकासकों सोक विश्व कार्यित उद्योग इतिहा प्रतिक्षेत्र एवं प्रक्रिका पूर्ण कर जीवन के विकासिक विकासिक कर्ता के अवीन सबसे 2000 / (स्वयं वो हवाद क्रेस) प्रतिकार पाननेत्र पर निन्न साविका के कोलम- 2 में श्रावीत क्रमांकी की सातिका के कोलम- अ में उस्लेखित स्थान पर पूर्णकों में अवाह स्थान पर प्रेरक पद पर योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य कहाने हेंबु नियुक्त किया जाता है।

	Œ		5403.00	10 20 200	A- /-B			<u> </u>				
	13			and that	Add And	के नाम सहिता	6.35	निवास स्थान	र / परत	गांस र	पास्त का अग्रहा	4.
-		+									नवृक्ति की गर्स	ç. ;
1		+	- A A		2/			3		+	Andread deli	-1
ं	1		4/3/80	/47 TE	with les				-	 		
•		1				रे स्वेर द्रा	96	रवामकोउ	7	191	7-CET	e F
	7	1	नियक्ति च		₩ /						- 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	₩ŧ

- 1. संविदा अवधि 06 मांह की होगी तथा कार्य मूल्यांकन अपरांत मापदण्ड अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही सेवाबृद्धि की जो
- 2 नियुक्त ग्रेरक को 7 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायब खेक शिक्षा समिति में उपस्थित देना अनिवार्य होती एवं उपस्थिति की सूचना कार्यालय विकाससंह लोक शिक्षा समिति उस रोजें को भी देना होगी।
- यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो विना किसी पूर्व सकत के समाप्त की जो सामार्थी कै
- सनित क्रिकेट दीयना समानि के साथ ही स्तत समान के सावेगी।
- अध्यक्षी में व्यापक अमण की सारीरिक अमता होना बाहिये ।
- या : पंचायत के लोक रिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संवालन एवं प्रकान करना होगा।
- ग्राम स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निस्तायें हुवं स्वयं सेवी शिक्षाओं की पहचान कर निस्करों को साक्षर करता होती प्रत्येक स्वयसेनी शिक्षक एवं निरक्षणें को पठन परठन सामग्री उपलब्ध कराना होगीं।
- ग्राम पंचायत में संधालित साक्षरता कक्षाओं एवं अन्य पहितिक्षयों की मॉनीटरिंग करना होगी।
- 9. प्रेरक का दायित रहेगा कि वे अनिवास्तः नियमित सम से सावस्ता कवाओं में पढाने का कार्य करेगें एवं नव साक्षयें का
- 1.. शाम चंचायत में 100 प्रतिसते महिला सामस्ता दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अवार्ड का प्रस्ताव तैयार कर जिले की
- ाः प्रेरक द्वारा उसकी नियुक्ति पश्चात शासन द्वारा स्थेपे गर्व कर्तव्यों का पालन नहीं किये जाने पर प्रेरक के विस्त अनुशासनात्मक /दण्हात्मक कार्यवाही कर पद से पृथक किया जा सकैंगा ।
- 12. प्रेरकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वियाराधीन याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी
- 13. नियुक्त प्रेरक होता निर्धारित अवधि में कार्यमार ग्रहण न करने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावणी।
- 14. प्रेरकों को प्रशिक्षण के दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी।

किकाप दिनांक 12/12/14

- 1. आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भौपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
- कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / उप समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर स्वादर सूचनार्थ ।
- 4. जिला प्रोंड शिक्षा आधिकारी / सचिव जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्ध ।

अस्याकायंपालन अधिकारी () जनभद पंचायत **अववद्ग वंचायत आरित**


ANNEXURE

श्री मान कर्सेक्टर महोदय जिला गुना महाहर

विषय प्रेरक नियुक्ति में मुझे क्रम्पवृद्धर प्रमाण पत्र के अंक दिलाने वाबत

श्रीमान की से निवेदन है कि मेने ग्राम पंचायम खामखेडा विकास खण्ड आरोन जमाद में प्रेर नियुक्ति का आकृष्ण पार्म जमा किया था उस के साथ में मेने कमायुटर प्रमाण किंत्र रांग्लन किया था पर गेरे फार्म में से किसी ने कम्पुर्स्टर प्रामाण पत्र निकाल कर किंक दिसा गया और मुझै 10 नंसार नहीं दिए गए सा की बीठई०औं। कार्यात्स्य धारीन के बाब से बात कि मुझे कार्यपुरूप प्रमाण पत्र के नंबर क्यों नही दिए गए तो बाबू ने पुमारी कहा कि तुनने पैसे नहीं दिय अगर तुम पेसे दे देसे तो तुन्हारी नियुक्ति हो जाती मेंने आपतित नहीं लगाई थीं क्योंकि चलमित हुआ आ इसके अंक मुझे 10 अंक मिलने के बाद भी उसकी प्रतिमृत ज्यादा थी चयनित मेरक शिवेन्द्र रघुवंशी की नियुचित संविदा क्षित्रा वर्ग 3 में जुकी है ग्राम पुंचायत खामखेडा में प्रेरक पद अभी रिक्त है चयनित प्रेरक द्वारा स्वैच्हा से स्तीफा दे दिया गया औ पूर्व प्रेरक के पद पर कार्यरह था चुकि जिला लोक शिक्षा सबिति द्वारा लिए गए निर्देशों के क्रम में मेरिट सूची में बिसीय The condition can come their con-

कतः शीपान जी से निवेदन है कि मेरे पारा पावती स्थीद गुन गई है दिल्लिओं। क्रवालग आरोन में सेने जो कार्य जमा किया का उस रामीकी कटटे की जांच क्रांबर्ट चाए तो छल कटटे औं कम्पयुटर प्रमाण पत्र संग्लन किया गया है श्रीमान जीसे अपरोध कि मुझे कम्पयुद्र के 10 अंक अगर मिल जात है तो में मेरिट सूची के द्विशीय कम मैं आ जासगां और मेरी मिथुवित हो जाएगी पूर्व में भी मेर्ने जिला प्रीट शिक्षा कार्यालय गुना में शिकायत कर चुका हूँ शिकायत की रसीद संग्लन है।





टाइन स्वेची केंद्र र 10

साधार भारत योजना

पावती

औ/औगती/कु — परवाल सिंह रघुवंशी शिक्ष — श्री बाबुबाता निवासी — प्यासी ग्राम पंचायता — कामकेश में आवाहित शिक्ष प्रेस्क पद हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.10.12 की प्राचा किया नवा। विकर्ष निवा दस्तांवेज संलग्न (अथवा का चिन्ह सम्बद्धि)

क. शैक्षणिक एवं अन्य वर्तता

वंतन्त्र के लिए का विक् समावे

- हाईस्कूल परीक्षा अंकसूची की छायाप्रिक्त
- हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंकसूची की
- पूर्व में साधारता राजालित योजनाओं मैं कार्यानुषव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- ।. कम्प्यूटर संचातन झान संबंधी प्रमाण क्या की छायसप्रति।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र की छावाप्रति।
- 6. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

स्थान –

दिनांक 18.10.

आवेदक के हस्ताक्षर

हरताक्षर प्राप्तकर्ती

कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग) बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/२०१६/1977

भोपाल,दिनांक-14...मार्च २०। ६

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनयम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि0प्र0/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, गुना को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि 0मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तन्यों तथा उत्तरदायित्यों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपार्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।

2. समस्त सुराँगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- 3. वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-

(क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
- 7. **माम**ले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
- 10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होति है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति अ अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रकम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(दीप्त ब्रोड मुकर्जी) आयुक्त 3

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश भोपाल,दिनांक- ें प्रमार्च 20 1 6

पृष्ठां.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया./२०१६/१९%

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

2 प्रमुख रचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3 असि: महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।

4 जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, गुना की ओर पालनार्थ। कृपया

नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

५ जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर की ओर सचनार्थ।

> **अस्ट्रिक्त १**/८ राज्य शिक्षा केन्द्र

> > मध्यप्रदेश

0/1